भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2592**

23.03.2023 को उत्तर के लिए

**बंदी हाथियों की मौतें**

**2592. श्रीमती फूलो देवी नेतम :**
**सुश्री सुष्मिता देव :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धार्मिक जुलूसों के दौरान देश में बंदी हाथियों की मौत की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार धार्मिक उत्सवों में धार्मिक संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा बंदी हाथियों के प्रयोग को रोकने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इरादा देश में बंदी हाथियों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कोई संपरीक्षा प्रणाली शुरू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (ग) धार्मिक जुलूसों के दौरान देश में बंदी हाथियों की मौत की संख्या में वृद्धि होने के संबंध में मंत्रालय को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा संबंधित राज्य सरकारों के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, बंदी हाथियों को उपयोग में लाए जाने की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हाथियों की मौत के कारण का पता लगाने के लिए 3 पशु चिकित्सकों के पैनल द्वारा हाथियों की शव परीक्षा के संबंध में एक परामर्शिका जारी की गई है।

********